संख्या- 114/78-1-2018-25/2012 टीसी-1

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.1.4 "प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या 5.1.4 "प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन" में निम्नवत् व्यवस्था की गई है:-

5.1.4 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

- राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों द्वारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी माडल (CMM) स्तर 2 एवँ उच्चतर, सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000, सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM) प्रमाणन में से अधिकतम 3 सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रू 25,00,000/-, अनुमन्य होगी। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इसी प्रकार के प्रमाणन को समय-समय पर अनुमन्यता के लिए सम्मिलित किया जायेगा।

3- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" में प्रदत्त उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

3.1 राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों को कैपेबिलिटी मैच्योरिटी माडल (CMM) स्तर 2 एवँ उच्चतर, सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000, सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM) प्रमाणन में सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसी प्रकार के अन्य प्रमाणन को समय-समय पर नोडल एजेन्सी के स्तर से सम्मिलित किया/हटाया जायेगा।

3.2 पात्र कम्पनी को अधिकतम 3 अलग-अलग सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.3 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की अधिकतम सीमा प्रति कम्पनी रू 25,00,000/- होगी।

4- उपरोक्त हेतु पात्र कम्पनियों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

1 <u>अनुदान हेतु कम्पनियों की पात्रता</u>

(i) राज्य में परिचालनरत ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

(ii) इस योजना का लाभ उन्हीं कम्पनियों को अनुमन्य होगा जिन्होंने भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रोत्साहन या अनुदान का लाभ न लिया हो।

2 <u>आच्छादन</u>
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3 <u>परिभाषायें</u>
एतद्द्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार

4 <u>कम्पनियों को प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया</u>

4.1 प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति हेतु कम्पनी द्वारा अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर अपना आवेदन कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा एवँ प्रोत्साहन धनराशि की स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

4.2 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा अपने आवेदन-पत्र के साथ, प्रमाणीकरण हेतु किये गये शुल्क भुगतान की सत्यापित रसीद, प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति एवँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1) संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

4.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त कम्पनी को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि वास्तविक आधार पर, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई रू 25.00 लाख होगी, अवमुक्त की जायेगी।

5 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

6 <u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>
कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही कम्पनी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5- आईटी एवं इलेक्ट्रानिकस अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-807/78-1-2015-25/2012टीसी-8 दिनांक 02 अगस्त 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 114(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–अ
(सन्दर्भ प्रस्तर 4.1)

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट–अप नीति–2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र
(आवेदक कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,
कार्यदायी संस्था (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट–अप नीति–2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट–अप नीति–2017 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतदद्वारा अपना आवेदन–पत्र (**अनुलग्नक–ब**) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट–अप नीति–2017 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि आवेदक कम्पनी उत्तर प्रदेश में कार्यरत है जिसका पता .... है। आवेदक द्वारा वि भाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपनी कम्पनी की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

तिथिः

सम्बन्धित कम्पनी के स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक—ब
(सन्दर्भ प्रस्तर 4.2)

राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों द्वारा प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन

कम्पनी का विवरण

कम्पनी का नाम :

कम्पनी के मुख्यालय का पता :

पिन कोड

दूरभाष /मोबाइल नॅ0 ई—मेल

कम्पनी की उत्तर प्रदेश इकाई का पता :

पिन कोड

दूरभाष /मोबाइल नॅ0 ई—मेल

सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का विवरण :
(नाम, पदनाम एवं मोबाइल नॅ0)

प्रमाण—पत्र का विवरण – कृपया (√) करें :

- कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (CMM) स्तर 2 एवॅ उच्चतर ☐
- सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001, ☐
- सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000 ☐
- सी.ओ.पी.सी (COPC) ☐
- ई.एस.सी.एम (eSCM) ☐
- अन्य (कृपया स्पष्ट करें) ☐

प्रमाणीकरण हेतु आवेदन की तिथि :

प्रमाण—पत्र प्रदान करने वाली संस्था(ओं) का नाम एवॅ पता :

पिन कोड

दूरभाष /मोबाइल नॅ0 ई—मेल

कम्पनी को निर्गत प्रमाणपत्र का कमॉक एवं तिथि :

प्रमाणीकरण पर निहित कुल लागत :

योजना के अन्तर्गत आवेदित प्रोत्साहन राशि :

टिप्पणी:प्रमाण–पत्र तथा प्रमाणीकरण संस्थाओं की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करते हुए प्रासंगिक सूचनायें प्रदर्शित करें।

तिथि:

सम्बन्धित कम्पनी के स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी:

1 पात्र कम्पनी को अधिकतम 3 अलग–अलग सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी।

2 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की अधिकतम सीमा प्रति कम्पनी रू 25,00,000/– होगी।

3 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु किये गये शुल्क भुगतान रसीद की सत्यापित रसीद, प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति, एवॅ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र (**परिशिष्ट–1**) संलग्न करें।

4 उत्तर प्रदेश में कम्पनी/इकाई के पते का प्रमाण

परिशिष्ट–1
(सन्दर्भ अनुलग्नक–ब की टिप्पणी 3)

प्रमाणीकरण पर हुए व्यय का, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

आवेदक – सर्वश्री .... के पॅजीकृत कार्यालय .... तथा कार्यशाला ....पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के अनुसार आवेदक द्वारा प्रमाणन–अभिकरण(ों)/संस्था(ओं) से कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (CMM) स्तर 2 एवॅ उच्चतर/ सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001/सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000/ सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM)* प्रमाणन की प्राप्ति के सम्बन्ध में कुल धनराशि रू .... (रूपये ....) मात्र का व्यय हुआ है। उक्त व्ययों का मदवार विवरण निम्नवत् हैः–

कम सं0	व्यय का विवरण	प्रमाणन–अभिकरण/संस्था	धनराशि (रू)	अभ्युक्ति
	प्रमाणन कार्यालय शुल्क आवेदन शुल्क (भारत/ विदेश)			
	(विदेशी आवेदन शुल्क हेतु मुद्रा की विनिमय दर)			
		योग		

स्थानः
तिथिः

चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का हस्ताक्षर
एवं मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुलग्नक–स

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या .... दिनॉक ....)

1 (अ) "नई इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप फर्म्स, कम्पनियों, समितियों एवं साझेदारी वाली नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।
(ब) "एम.एस.एम.ई.(MSME) सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग" का तात्पर्य ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों से है जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

2 "कम्पनी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

3 "सोसायटी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया हो।

4 "पार्टनरशिप" से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम–1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

6 "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से किसी वित्तीय संस्था द्वारा पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित कार्यों हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

7 "वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

8 "स्थिर पूँजी निवेश" का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लान्ट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित सामग्री/सेवा की बिकी/अतिरिक्त बिकी की प्रथम तिथि शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को या उसके बाद पड़ती हो।

9 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिकी की प्रथम तिथि से है।

10 "**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/ कम्पनियॉ इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/ के0पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।

11 **सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं :–**

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
- आपरेटिंग सिस्टम – Operating System
- मिडिलवेयर / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
- उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
- इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- प्रणाली का एकीकरण (System Integration)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवॅ Supply Chain Management कार्य
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

12 **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं** का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:–

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
- ई–कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (EDI) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी–सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

13 **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रकियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसकिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक–आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल–सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:–

- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट (BPM)
- ग्राहकों की प्रतिकिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई–मेल, हेल्प–डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारा)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रकिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation) , नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:–
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
  - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
  - एम0आर0एम0 – (Marekting Resources Management)
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)

- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
    - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
    - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)
- **'रिमोट द्वारा'** का तात्पर्य इन्टरनेट/दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें जो उपर्युक्त में सम्मिलित नही हैं, भी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

14 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

15 "जमा की गई जी.एस.टी." एवं "जी.एस.टी." का तात्पर्य सम्बन्धित इकाई द्वारा यथास्थिति, किसी त्रैमास अथवा वित्तीय वर्ष में जमा किए गये नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से है।

16 "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅं स्टार्ट–अप नीति–2017" के अन्तर्गत नामित नोडल एजेन्सी से है।

17 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅं स्टार्ट–अप नीति–2017 के प्रस्तर 7 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

18 **आवरण पत्र** : "आवरण पत्र" का तात्पर्य इस शासनादेश के साथ **अनुलग्नक 'अ'** पर उपलब्ध प्रारूप पर लिखे गये आवरण–पत्र से है।

19 **आच्छादन** : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

20 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार** : किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।